राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1875/2025

हेमन्त छिपा –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त एवं संयुक्त सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. रविन्द्र कुमार वैष्णव, जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, ब्यावर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 03.02.2025

आदेश की दिनांक : 10.03.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री महेन्द्र कुमार जोशी, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, भीलवाड़ा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, झालावाड़ में किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को समंजित करने के उद्देश्य से स्थानीय विधायक द्वारा राजनैतिक आधार पर किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि स्थानीय विधायक श्री अशोक कुमार कोठारी विधायक भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 10.08.2024 (अनुलग्नक–4) द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजे गए पत्र से स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने की अभिशंषा की गई है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण 250 कि.मी. दूर किया गया है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलौच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी को निरन्तर वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्य करने दिया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, भीलवाड़ा से सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय, झालावाड़ में किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर वर्ष 2022 से पदस्थापित है। अपीलार्थी यह साबित करने में असमर्थ रहा है कि स्थानीय विधायक का पत्र प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के पास पंहुचा हो एवं इस आधार पर स्थानान्तरण किया गया हो। यहां अपीलार्थी यह स्पष्ट नहीं कर पाया है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित किया गया हो। अपीलार्थी का स्थानान्तरण समुचित समयावधि पश्चात किया गया है। अपीलार्थी के स्थानान्तरण में किसी प्रकार की दुर्भावना एवं नियमों का उल्लंघन प्रकट नहीं होता है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)